न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, बलिया

पीठासीन अधिकारी– (ज्ञान प्रकाश तिवारी– II), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP01564

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या– 391/2022

शक्ति विनय मिश्रा––––बनाम––––शान्ति पटेल

दिनांक– 29.01.2026

पत्रावली पेश हुई। सायल शक्ति विनय मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र–4ग आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. व 151 सी.पी.सी. दिनांकित 06.10.2022 पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र–4ग अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. व 151 सी.पी.सी.

सायल शक्ति विनय मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र–4ग आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. व 151 सी.पी.सी. दिनांकित 06.10.2022 में कथन गया कि "निवेदन है कि सिविल मुतफर्का अपील हसब पता जैल में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 04.03.2020 को उभय पक्षों के अधिवक्ता की बहस के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करते हुए 6ग2 अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था जिसके विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा सिविल मुतफर्का अपील सं०–88/2020 श्रीमती शान्ति पटेल वगै० बनाम शक्ति विनय मिश्रा द्वारा दाखिल किया गया और जिसमें तामिला हेतु कार्यवाही जो हुई उसकी जानकारी सायल को नहीं हो पायी क्योंकि आर्थिक कमजोरी की वजह से सायल नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया था और वहाँ पर एक व्यापारी के यहाँ कार्य करने लगा जिससे अदालत द्वारा जारी नोटिस रजिस्ट्री, गजट की कोई जानकारी नहीं हो पायी और मुतफर्का अपील दिनांक 07.09.2022 को सायल की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णित हो गया है। उक्त मुतफर्का अपील में सायल न तो उपस्थित हो सका न अधिवक्ता को खड़ा कराकर बहस करा सका जिससे सायल की अपूर्तनीय क्षति है। सिविल मुतफर्का अपील न्यायालय श्रीमान् अपर जिला जज/एफ.टी.सी. कक्ष सं०–2, बलिया में तामिला की कार्यवाही करायी गयी और जो आदेश पारित हुआ वह न्यायालय श्रीमान् अपर जिला जज कोर्ट सं०–4, बलिया द्वारा पारित किया गया है। न्यायालय बदलने की भी कोई जानकारी सायल को नहीं दी गयी। सायल जब दिनांक 16.09.2022 को बलिया दिल्ली से आया और विपक्षीगण द्वारा आदेश दिनांक 07.09.2022 के सम्बन्ध में जाहिर किया जाने लगा तो सायल दिनांक 26.09.2022 को कोर्ट आकर अधिवक्ता से मिला, मिसिल का मुआयना कराया तो सिविल मुतफर्का अपील हसब पता जैल की पूर्ण जानकारी हुई इसके पहले कोी बी जानकारी सायल को नहीं रही। विपक्षीगण उक्त आदेश के बुनाय पर विवादित भूमि का हैत बदलने पर आमादा हैं। न्याय के वृहत्तर सेन्स में तथा न्याय की प्रक्रिया के सन्दर्भ में उभयपक्ष को गुण–दोष के आधार पर सुनावाई के उपरान्त न्याय प्रदान करना जरूरी व न्यायसंगत है। मुकदमे में अनुपस्थिति सायल की गरीबी की वजह से बाहर जाकर कमाने की वजह से हुई है लेकिन अगर सायल बाहर जाकर कमाई नहीं करता तो परिवार भुखमरी का शिकार हो जाता क्योंकि आमदनी का कोई श्रोत नहीं है। कोविड–19 की वजह से तथा बीमारी की वजह से परिवार भुखमरी के कगार पर है। दिल्ली जाने का मुख्य कारम भुखमरी मिटाना था ऐसी स्थिति में न्यायहित में आदेश दिनांक 07.09.2022 रिकाल करके तथा उसे अपास्त करके सिविल मुतफर्का अपील हसब पता जैल की सुनवाई गुण–दोष के आधार पर किया जाना जरूरी व न्यायसंगत है। "

Digitally signed by GYAN PRAKASH TIWARI
Date: 2026.01.29 17:53:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आपत्ति कागज सं०–30ग विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. में यह कथन किया गया कि "आवेदन पत्र सायल जैसा उल्लिखित है कानूनन मेंटेनेबुल नहीं है। हरगिज आवेदन पत्र को देने का अधिकार सायल को नहीं है। मामला असलियत यह है कि सायला ने ही मूल मुकदमा नं०–439/2017 शक्ति विनय मिश्रा बनाम लैला खातून व अदालत सिविल जज(जू०डि०), पूर्वी, बलिया में दाखिल किया और सउसमें आवेदन पत्र 6ग2 दिनांक 04.03.2020 को स्वीकार हुआ और उक्त मुकदमा अदालत हाजा में विचाराधीन रहा। मूल मुकदमा में पारित आदेश दिनांक 04.03.2020 के विरुद्ध एक तरफसानी ने प्रकीर्ण अपील नं०–88/2020 तक किया जिसमें नोटिस तामिला सायला पर बजरिये चपरासी अदालत व रजिस्ट्री तथा प्रशासन के माध्यम से सायल व अन्य विपक्षीगण पर बखूबी अवधारित हुआ और न्यायालय द्वारा भी यह अवधारित हुआ कि विपक्षीगण पर तामीला बजरिये प्रकाशन पर्याप्त अवधारित किया जाता है इससे भी बखूबी साबित है कि सायल पर तामीला बखूबी रहा इस आधार पर भी आवेदन पत्र सायल काबिल होने निरस्त के है। आदेश से ही बखूबी साबित है कि सायल द्वारा दाखिल मूल मुकदमा नं०–439/2017 शक्ति विनय बनाम लैला खातून की पत्रावली तलब होकर प्रकीर्ण अपील में दिनांक 02.03.2021 को चली गयी थी इससे भी बखूबी साबित है कि प्रकीर्ण अपील की जानकारी सायल व उसके अधिवक्ता को रही। सायल जानबूझकर मुकदमे मे उपस्थित नहीं हुआ और गलत कथनों के साथ आवेदन पत्र दिया है। हरगिज सायल नौकरी के सिलसिले में न तो बाहर गया और न ही बीमार रहा और अगर वह वास्तव में बाहर चला गया होता तो मूल मुकदमा का वादी सायल ही है तो अदम पैरवी में उसका मूल मुकदमा भी खारिज हो जाता इससे भी बखूबी साबित है कि सायल ने मात्र आवेदन पत्र देने के लिए फर्जी कथनों के साथ आवेदन पत्र दिया है वरना आवेदन पत्र में कोई असलियत नहीं है। आवेदन पत्र सायल False Frivolous And Vexatious है और काबिल होने निरस्त के है।"

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आलोच्य आदेश दिनांकित 07.09.2022 के विरुद्ध दिनांक 06.10.2022 को यह याचिका अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. दाखिल है। अतः प्रत्यर्थी का यह तर्क कि याचिका परिसीमा बाधित है, संधारणीय नहीं है। दौरान अपील प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की तरफ से इस आशय का दिया गया था कि शान्ति पटेल की मृत्यु दिनांक 20.06.2018 को हो गयी थी जिनके वारिसान विक्की पटेल व चेतन पटेल प्रतिस्थापित होकर पत्रावली में आ चुके हैं। सम्बन्धित प्रकीर्ण सिविल अपील सं०–88/2020 दाखिल होने के समय अपीलार्थी श्रीमती शान्ति पटेल का जीवित न रहना उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है। शान्ति पटेल की मृत्यु सन् 2018 में हुई है ऐसी दशा में उक्त प्रकीर्ण अपील 88/2020 में आलोच्य आदेश दिनांक 04.03.2020 जिसे उक्त अपील में अपास्त किया गया, के पूर्व भी उक्त शान्ति पटेल की मृत्यु हो जानी स्पष्ट है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित प्रकीर्ण याचिका शान्ति पटेल के मृतक रहते हुए दायर हुई थी। सम्बन्धित प्रकीर्ण अपील में प्रत्यर्थीगण पर नोटिस की तामीला पर्याप्त होना लिखा गया है परन्तु एक तथ्य तो स्पष्ट है कि मृतका शान्ति पटेल को न तो मृत्यु के आधार पर पत्रावली में आवश्यक कार्यवाही की गयी और अपील दाखिल करने वालों के द्वारा भी न्यायसंगत तरीके नहीं अपनाए गये। इससे भी इस तथ्य को बल मिलता है कि आवेदक द्वारा शपथ पत्र पर कहा गया कथन कि वह पर्याप्त कारणों से अपील की सुनवाई में उपसंजात होने से निवारित हो गया था, संधारणीय है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायहित में याचिका अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी.स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सी.पी.सी. तथा धारा 151 सी.पी.सी. कागज सं०–4ग न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा आलोच्य आदेश दिनांकित 07.09.2022 निरस्त किया जाता है। सम्बन्धित प्रकीर्ण सिविल अपील सं०–88/2020 अपने मूल नम्बर पर कायम होकर सुनवाई हेतु दिनांक–11.02.2026 को पेश हो।

(ज्ञान प्रकाश तिवारी–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–4, बलिया

दिनांक– 29.01.2026